अपर सचिव

सह

अपीलीय प्राधिकार,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

अपील संख्या–01/2026

मो0 महमूद आलम

बनाम

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं अन्य

उपस्थितिः–

मो० जियाउल कमर ....अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

मो० शहजाद हसन खान एवं

असलम अंसारी ....बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी मो0 महमूद आलम, पिता–स्व0 मो0 सलीमुद्दीन, मदरसा इस्लामिया हाशमी, हटगाँव, पो0–तारबी, थाना–पलासी, जिला–अररिया (मदरसा सं0–387) के प्रबंध समिति सचिव ने इस अपील में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 1651 एवं ज्ञापांक 1652, दोनों का दिनांक 24.12.2025 को चुनौती दी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी का पक्ष रखते हुए अपीलीय प्राधिकार को बताया कि प्रश्नगत आदेश के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2025 एवं दिनांक 23.09.2025 के आधार पर गलत आरोप, यथा अपीलार्थी की प्रबंध समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन में छेड़छाड़ किया है, के आधार पर प्रतिवादी संख्या–5 एवं 6 की प्रबंध का अनुमोदन दिया गया है। जबकि उक्त आरोपों के विरूद्ध अपीलार्थी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री एखलाक ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष CWJC No. 17802/2025 में चुनौती दिया, जो अभी लंबित है एवं प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए दिनांक 03.12.2025 को निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी की तरफ से बताया गया है कि अपीलार्थी ने उक्त मदरसा को निबंधित दस्तावेज संख्या 2851 दिनांक 04. 06.2024 द्वारा चार डिसमिल भूमि दान दिया है एवं श्री एखलाक ने 21240 रूपये दान में दिया है तथा अपीलार्थी ने भी 12000 रूपये नगद दान दिया है। नियमानुसार स्थानीय लोगों ने अपीलार्थी के प्रबंध समिति का चुनाव किया और प्रभारी प्रधान मौलवी ने प्रस्ताव सहित अन्य कागजात अनुमोदन के लिए मदरसा बोर्ड में जमा किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के द्वारा लगाए गए फर्जी आरोप के कारण अपीलार्थी के प्रबंध समिति के दावे को अस्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या–5 एवं 6 की प्रबंध समिति का अनुमोदन दे दिया गया है। निरीक्षण में जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया ने अपीलार्थी की प्रबंध समिति के अनुमोदन की अनुशंसा की थी। जबकि मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जब जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को उक्त मामले को सत्यापन के लिए भेजा गया, तो उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 614 दिनांक 23.09.2025 द्वारा बताया गया कि जाँच प्रतिवेदन में किसी प्रबंध समिति के पक्ष में

Vnam

मंतव्य अंकित नहीं किया गया है, तो मदरसा शिक्षा बोर्ड ने किस परिस्थिति में प्रतिवादी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है।

इसके बावजूद, फर्जी आरोपों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के प्रबंध समिति का अनुमोदन मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा उन आरोपों की जाँच कराए बिना दे दिया गया, जो नियम के विपरीत है।

अपीलार्थी की ओर से यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 के भाई मो० मुजफ्फर, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के कार्यालय में कर्मचारी हैं, ने यह कूट रचना की है।

मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथन का विरोध करते हुए बताया कि प्रश्नगत आदेश एक मुखर एवं सकारण आदेश है जो नियमानुकूल होने के साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है और मदरसा बोर्ड की ओर से जबाव दाखिल कराना अभी शेष है। अतः सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की जाय।

निष्कर्ष– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक बहस एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक 1651 दिनांक 24.12.2025 के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के पक्ष द्वारा अपीलार्थी पक्ष पर लगाए गए आरोपों के आधार पर मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने अपीलार्थी पक्ष के प्रबंध समिति के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के आरोपों की जाँच/पुष्टि कराए बिना ही ज्ञापांक 1652 दिनांक 24.12.2025 द्वारा प्रतिवादियों के प्रबंध समिति का अनुमोदन दे दिया है।

इस अपील की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार द्वारा इस अपील को दिनांक 21.01.2026 को स्वीकृत किया गया तथा प्रतिवादियों को सूचना निर्गत की गई ताकि वे स्वयं या अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल कर सकें। प्रतिवादी न तो स्वयं उपस्थित हुए और न उनका प्रतिनिधित्व किसी विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। आरोपों की जाँच किए बिना ही आरोपों को सत्य मान लिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

अतः उक्त के आलोक में मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 1651 एवं ज्ञापांक 1652, दोनों का दिनांक 24.12.2025 पर रोक (Stay) लगाई जाती है।

उपरोक्त आदेश की सूचना सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेजी जा रही है, ताकि सभी संबंधित प्रतिवादी अगली तिथि को अपना–अपना पक्ष रख सकें। इस अपील के सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 19.05.2026 को निर्धारित की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........12........................ दिनांकः–.........30/03/2026

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 महमूद आलम, पिता–स्व0 मो0 सलीमुद्दीन, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा इस्लामिया हाशमी, हटगाँव, पो0–तारबी, थाना–पलासी, जिला–अररिया (मदरसा सं0–387)/मो० उमर इकबाल, सचिव, नई प्रबंध समिति, मदरसा इस्लामिया हाशमी, हटगाँव, पो०–तारबी, थाना–पलासी, जिला–अररिया (मदरसा सं०–387)/मो० तौहीद आलम, अध्यक्ष, नई प्रबंध समिति, मदरसा इस्लामिया हाशमी, हटगाँव, पो०–तारबी, थाना–पलासी, जिला–अररिया (मदरसा सं०–387)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतू एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Vijay 30/3/2026

अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।